

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/175171/FGH/FATEHGARH/653/CFO

दिनांक : 10-10-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE पता 210, 221, PANCHAL GHAT ROAD CHANDPUR, FARRUKHABAD तहसील - SADAR प्लाट एरिया 7163.34 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कर्वड एरिया 6005.78 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
D V S E C	3	0	12.18 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 16-10-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KUMKUM SWARUP dr. virendraswarup1955@gmail.com 8004933796 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफटी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 17-10-2025 से 16-10-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1- All Fire Fighting must be in working condition as per G.O.18/छ:-पु-0-8-2022/905(34)2016टी0सी0 Dated 07/01/2022 and up fire and emergency service act 2022 and ruls 2024 2- All the Escape routs must be kept cleared all the time and Electrical Safety Audit of premises is Mandatory.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUBHASH KUMAR

EAF9EEE09CFECD9679E79F51E39EC540561481D3

17-10-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.